आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
27/1/2015	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 26/12** **वशिष्ठ नारायण राय बनाम बिहार सरकार (अनुमंडल पदाधिकारी, सदर) एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के आदेश ज्ञापांक 352/आ0 दिनांक 3.3.12 के विरुद्व दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 15.11.11 को जॉच दल के द्वारा वशिष्ठ नारायण राय, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति सं0 3/87, पंचायत–करही, प्रखंड–बनियापुर की दूकान की जॉच की गयी। जॉच के कम में निम्नांकित अनियमितता पायी गयी: 1. जॉच के समय 11.00 बजे पूर्वाह्न में आपकी दूकान वद पायी गयी। बिना किसी सूचना के आप अनुपस्थित पाए गए, जिसके कारण आपकी दूकान से संबंधित पंजियों की जॉच नही की जा सकी। उक्त अनियमितता के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के ज्ञापांक 33 दिनाक 4.1.12 के द्वारा विकेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी। जिसके प्रसंग मे ... के द्वारा अपना जवाव प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पाते हुए विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। अनुज्ञप्ति रद्द करने संवंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा वतलाया गया कि अपीलकर्त्ता निरीक्षण के दिन दात के दर्द से परेशान थे एव डॉ0 से दिखाने ईलाज हेतु गए थे, जिसका प्रमाण अभिलेख पर है। दूकान का वंद रहना अनुज्ञप्ति रद्द करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता है। एक अन्य वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि	

जन वितरण प्रणाली की किसी दूकान के केवल बंद रहने को आधार मानकर अनुज्ञप्ति रद्द करने जैसी गंभीर सजा नहीं दी जा सकती है। ऐसी परिस्थिति में अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं विधि सम्मत् नहीं है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द को पुनर्जीवित करने का अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख में रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। परिसीलनोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश अपने आप में मुखर आदेश नहीं है। जाँच के क्रम में दूकान के बंद पाए जाने की स्थिति में यह उचित था कि अपीलार्थी से उसके दूकान से संबंधित कागजातों एवं पंजी की माँग कर जाँच की जाती एवं यदि जाँच के क्रम में अनियमितता पायी जाती, तो उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई की जाती है, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, जिससे उनके सद्वारा पारित आदेश उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अपीलकर्त्ता को निर्देश दिया जाता है कि किसी भी अपरिहार्य परिस्थिति में दूकान के बंद किए जाने की सूचना नियंत्री पदाधिकारी को भविष्य में देना सुनिश्चित करेंगे एवं किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर दूकान का संचालन करवाना सुनिश्चित करेंगे।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 55 दिनांक 29/1/2015

प्रतिलिपि–अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा को निम्न न्यायालय का अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेवसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/1/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।